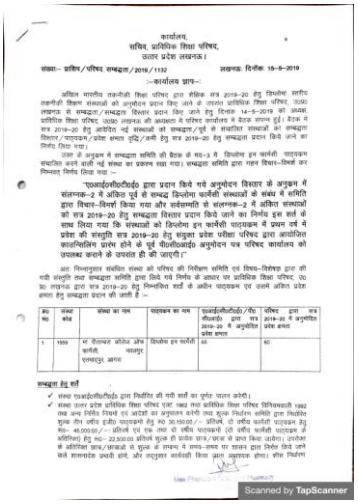

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊः दिनांकः 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु दिल्लीस्थ क्षेत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शत्र 2019-20 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कार्ड हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र0-3 पे दिल्लीस्थ इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"एलर्जीएशियाटिकई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध दिल्लीस्थ फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को दिल्लीस्थ इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईई अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1999	मां पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नावलपुर, इलमादपुर, आगरा	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीए पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रार्थी/छात्र/छात्रा से द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के नाम पर संस्थान द्वारा लिये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और उपयुक्त मार्गदर्शी किया जाए अनुपालन होगा। शीघ्र निर्णय

Scanned by TapScanner

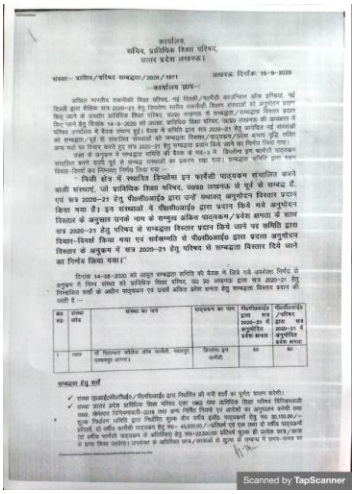

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1911 लखनऊः दिनांकः 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्लीस्थ क्षेत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को आयोजित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की आयोजना में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के क्र0-3 पे दिल्लीस्थ इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"किसी होन में स्थानीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा उन्हें सम्बद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं ने पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम पत्रवर्ती नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1999	मां पीताम्बरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नावलपुर, इलमादपुर, आगरा।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआईई द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, फीनियस विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीए पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रार्थी/छात्र/छात्रा द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जा रहे शासनादेश प्रभावी होंगे, और उपयुक्त मार्गदर्शी किया जाना अनुपालन होगा। शीघ्र निर्णय की सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। (ये सीट्स भी परिषद से लागू होंगी)
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2006 की का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था से संबद्धता प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रवेश परामर्श के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई/फार्मेसी से अन्यथी नव हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विधिनियमों/नीतियों/शासनादेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, से संयुक्त प्रवेश परिषद परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों आदि करने के लिये बाध्य होगी।

Scanned by TapScanner

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊः दिनांकः 09/09/

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-2 दिल्लीस्थ क्षेत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/09/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हु उक्त में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्य सीट्स प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा स 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1999-MAA PITAMBRA COLLEGE OF PHARMACY, NAWALPUR, ETMADPUR, AG

क्रम सं0	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 202 हेतु अनुमोदित प्रवेश क
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई/फार्मेसी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली, 1992, फीनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित तीन वर्षीय इंडीए पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रार्थी/छात्र/छात्रा द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जा शासनादेश प्रभावी होंगे, और उपयुक्त मार्गदर्शी किया जाना अनुपालन होगा। शीघ्र निर्णय समिति द्वारा सीटें सत्र 2021-2 परिषद को सूचीबद्ध किया जाएगा है, (ये सीट्स भी परिषद से लागू होंगी)
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2006 की का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था से संबद्धता प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रवेश परामर्श के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/पीसीआई/फार्मेसी से अन्यथी नव हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर विधिनियमों/नीतियों/शासनादेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, से संयुक्त प्रवेश परिषद परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों आदि करने के लिये बाध्य होगी।

Scanned by TapScanner